

का.आ. 897(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं० सं० आ० 28(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारत सेवाश्रम संघ, 211, रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019 द्वारा गंगपुर, जिला नवसारी, गुजरात आदिवासी कल्याण परियोजना के लिए डिस्पेन्सरी, विद्यालयों, छात्रावास, लघु उद्योगों, तकनीकी प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक हॉल, आश्रम परिसर, आवासीय क्वार्टर, वाटर टैंक आदि के लिए भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनिगम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सेवाश्रम संघ, 211, रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019 द्वारा गंगपुर, जिला नवसारी, गुजरात आदिवासी कल्याण परियोजना के लिए डिस्पेन्सरी, विद्यालयों, छात्रावास, लघु उद्योगों, तकनीकी प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक हॉल, आश्रम परिसर, आवासीय क्वार्टर, वाटर टैंक आदि के लिए भवन के निर्माण रखरखाव की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र दो करोड़ सत्तर लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।